श्री राघवेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०, जिला पदाधिकारी, बक्सर की अध्यक्षता में दिनांक 19.05.2018 को सिमरी प्रखण्ड के ग्राम पंचायत मझवारी में संध्या चौपाल की टिप्पणी।

===

दिनांक 19.05.2018 को सिमरी प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम पंचायत मझवारी के मध्य विद्यालय, धनहां के प्रांगण में संध्या चौपाल आयोजित की गई। इस क्रम में उप विकास आयुक्त, जिला योजना पदाधिकारी–सह–वरीय प्रभारी, सिमरी प्रखण्ड, अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरांव, सिमरी प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, मुखिया, वार्ड सदस्य एवं बड़ी संख्या में बच्चे, नवयुवती, नवयुवक, महिला एवं पुरूष उपस्थित थे। संध्या चौपाल की टिप्पणी निम्नवत् है–

(1) संध्या चौपाल में जिला पार्षद श्री केदार सिंह के द्वारा स्वच्छता के बारे लोगों को जानकारी दी गई तथा अपना शौचालय बनाने तथा उसके उपयोग हेतु अपील की गई। उनके द्वारा क्षेत्र की जनता के समस्याओं से अवगत कराते हुए बताया गया कि यह क्षेत्र सब्जी उत्पादन के लिए अनुकूल है, परन्तु धनहां, गोपालपुर एवं मझवारी गौतम में स्थित राजकीय नलकूप खराब होने से सिंचाई के लिए काफी समस्या हो रही है। विद्यालय परिसर में आपदा के तहत एक चापाकल लगाने तथा खराब पड़े चापाकलों की मरम्मति कराने का अनुरोध किया गया।

(2) श्रीमती शीला देवी, जीविका दीदी के द्वारा के स्वच्छता अभियान के बारे में जनाकारी दी गई तथा महिलाओं एवं बच्चियों के हित में शौचालय बनाने हेतु सभी लोगों से अपील की गई।

(3) श्री कमला कान्त तिवारी के द्वारा स्वच्छता हेतु एक दूसरे का सहयोग कर कार्य करने का अपील किया गया। साथ ही उनके द्वारा धनहा ग्राम के चकरोड का निर्माण कराने तथा नक्शा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

(4) श्री अनिल कुमार, जिला सलाहकार, क्षमताबर्द्धन, आई०ई०सी०, बक्सर के द्वारा बताया गया कि इस पंचायत के 60 प्रतिशत घरों में शौचालय निर्माण पूर्ण हो चुका है। शेष 40 प्रतिशत घरों में शौचालय निर्माण करा कर पंचायत को खुले में शौच मुक्त किया जाना है। इसके लिए एक दूसरे को प्रेरित किये जाने की आवश्यकता है। यदि आपके बगल के घर में शौचालय नहीं है तो उक्त परिवार को अपना शौचालय बनाने हेतु प्रेरित करें। उनके द्वारा खुले में शौच से होने वाले बीमारियों एवं महिलाओं के समस्याओं से भी अवगत कराया गया। प्रोत्साहन राशि के संबंध में बताया गया कि यदि किसी वार्ड के 75 प्रतिशत घरों में शौचालय निर्माण हो जाता है तो प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अपील की गई कि अपने पंचायत को खुले में शौच मुक्त करायें।

(5) अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरांव के द्वारा ग्रामीण जनता से अपील की गई कि पंचायत में शेष बचे 40 प्रतिशत घरों में शौचालय निर्माण करायें तथा अपने पंचायत को खुले में शौच मुक्त करें। उनके द्वारा खुले

में शौच जाने से उत्पन्न बीमारियों एवं महिलाओं के कठिनाइयों से भी अवगत कराया गया तथा शौचालय निर्माण की अपील की गई।

सभी लोगों को अगवत कराया गया कि जिन लोगों का राशन कार्ड नहीं बना है, वे प्रखण्ड कार्यालय के काउन्टर पर आवेदन जमा करें ताकि उनका राशन कार्ड बनाया जा सके।

संध्या चौपाल के माध्यम से सभी लोगों को यातायात नियमों का पालन करने तथा मोटर साईकिल चलाते समय हेलमेट पहनने हेतु अपील की गई। दहेज प्रथा एवं बाल विवाह जैसे सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु इसका विरोध करने का अपील किया गया।

(6) उप विकास आयुक्त के द्वारा स्वच्छता के बारे में ग्रामीण जनता को अवगत कराते हुए खुले में शौच जाने से होने वाले विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बारे में जानकारी दी गई। चौपाल में अपील की गई कि घर की महिलाओं एवं बच्चियों के सम्मान के लिए अपने घरों में शौचालय बनायें तथा उसका उपयोग करें।

(7) संध्या चौपाल के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के द्वारा उपस्थित जन समूह को सरकार की महत्त्वपूर्ण योजनाओं के बारे में निम्नवत् जानकारी दी गई—

(i) बैठक में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की जानकारी दी गई तथा बताया गया कि इस पंचायत में लगभग 1000 घरों में शौचालय बनाया जाना अवशेष है। सभी लोग एक दूसरे का सहयोग एवं प्रेरित कर शौचालय बनायें तथा पंचायत को खुले में शौच से मुक्त करें। कमजोर वर्ग के लोगों को भी आवश्यक सहयोग प्रदान कर उनका भी शौचालय बनायें। भूमिहीन परिवारों के बारे में बताया गया कि उनके लिए सामुदायिक शौचालय निर्माण कराया जाएगा। खुले में शौच जाने होने वाले बीमारियों एवं महिलाओं की समस्याओं से अवगत कराते हुए सभी को अपने घरों में शौचालय निर्माण एवं उसके उपयोग हेतु अपील की गई। बैठक में बताया गया कि जो पंचायत खुले में शौच मुक्त हो जाता है, उक्त पंचायत को अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विभाग से राशि प्राप्त होती है।

(ii) बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, कौशल युवा कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना की विस्तृत जानकारी दी गई तथा अपील की गई कि अपने आस–पास के लोगों को इस योजना की जानकारी दें ताकि वे इसका लाभ उठा सकें। सभी को जानकारी दी गई कि उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को ऋण दी जा रही है तथा इसमें 4 प्रतिशत के दर से ब्याज ली जाएगी। यदि निर्धारित ससमय सीमा से कम समय में ली गई राशि वापस की जाती है तो 0.25 प्रतिशत की छूट है। अर्थात् 3.75 प्रतिशत ही छूट है। छात्राओं के लिए मात्र 01 प्रतिशत ही ब्याज देय है तथा उसे भी कम समय में राशि भुगतान करने पर 0.25 प्रतिशत की छूट मिलेगा।

(iii) मद्य निषेध के बारे में जानकारी दी गई तथा बताया गया कि सरकार की यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण योजना है। अपील की गई कि यदि कोई शराब का सेवन करता है अथवा कहीं बिक्री की सूचना

प्राप्त होती है तो उसके बारे में थानाध्यक्ष, अंचल अधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक या सीधे अधोहस्ताक्षरी को सूचना दें। आपके सूचना पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी एवं आपका नाम भी गोपनीय रहेगा।

(iv) दहेज एवं बाल विवाह उन्मूलन के बारे में बताया गया कि दहेज एवं बाल विवाह जैसे कुरीति समाज के लिए अभिशाप है तथा इसे जागरूकता फैला कर समाप्त किया जाना है। लड़कियों की शादी 18 वर्ष तथा लड़कों की शादी 21 वर्ष के उम्र हो जाने के बाद ही की जानी है। यदि इससे कम उम्र में किसी लड़के/लड़की की शादी, उनके परिजनों के द्वारा की जा रही है अथवा विवाह में दहेज की मांगी की जा रही है, तो इसका विरोध करें।

(v) बंद पड़े नलकूपों को चालू कराने हेतु कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई को निदेशित किया जाएगा। सब्जी उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि विभाग के माध्यम से कृषकों की समूह का गठन किया जाएगा तथा उत्पादित सब्जी को कस्तुरबा गांधी विद्यालय में प्रति दिन आपूर्त्ति की व्यवस्था की जाएगी। विद्यालय में अतिरिक्त चापाकल लगाने तथा खराब पड़े चापाकलों की मरम्मति हेतु कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमण्डल, बक्सर को निदेशित किया जाएगा।

(vi) चक रोड के निर्माण एवं नक्शा उपलब्ध कराने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी।

24/5/18

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक 10/671 गो0 दिनांक 24-5-2018

प्रतिलिपि : प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिमरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि टिप्पणी की प्रति अपने स्तर से संबंधित प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, बक्सर को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला समन्वयक, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, बक्सर/ जिला कृषि पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बक्सर/ कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमण्डल, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला समन्वयक, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, बक्सर/जिला योजना पदाधिकारी, बक्सर–सह–मेंटर, सिमरी/विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, बक्सर/ अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/05/18

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।